

2018/00169

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा  
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या :307 /2018 (प्रा0पत्र-रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

लडडू राम पुत्र श्री बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी उदयपुरा तहसील  
पीपल्दा जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :- 1. श्री मोहम्मद युनूस (अभिभाषक अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 24.07.2019

1. प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पीपल्दा की ओर से अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह प्रार्थना इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 340 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2028 दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकषिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो, ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत आवंटन/खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियां सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है, किन्तु उक्त प्रावधान के होते हुए आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त साबिक खसरा नम्बर 340 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नियमन/आवंटन/विक्रय श्री लडडूराम पुत्र बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी उदयपुरा के पक्ष में किया गया, जो विधि विरुद्ध एवं अवैधानिक होने से प्रतिपक्षी के पक्ष में दर्ज खातेदारी अनियमित होने के कारण खारिज होने योग्य है। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2041 से 2060 के तहत उक्त साबिक खसरा नम्बर 340 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि के भू-प्रबन्ध बाद हाल खसरा नम्बर 329, 330 रकबा 1.25 हैक्टेयर किस्म नहरी प्रथम दर्ज किये गये तथा उक्त आराजी अप्रार्थी श्री लडडूराम पुत्र बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी उदयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा के खाते दर्ज है, जो उपरोक्त प्रावधान के अनुसार निरस्त योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट केस नं0 1536/03 तारीख फैसला दिनांक 02.8.2004 में दिये गये निर्देशानुसार भी उपरोक्त भूमि पूर्व स्थिति में दर्ज किये जाने योग्य है, अर्थात् जलोद भूमि दर्ज करने योग्य है। राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सम्बन्धी) नियम 1957 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954, राजस्थान कोलोनाइजेशन (जनरल कॉलोनी) कन्डीशन्स 1955, और राजस्थान गवर्नमेण्ट ग्रान्ट्स एवं 1961 के आधीन विहित बाध्यताओं निबन्धनों की शर्तों के आधीन बाध्यताओं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के विरुद्ध होने से

आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी का आवंटन खारिज कर गै.मु. तलाई दर्ज करने का आदेश फरमावे।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ज नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से जर्ज अभिभाषक प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का मुख्यतः कथन है कि विवादित आराजी कभी भी गैर मुमकीन तलाई नहीं रही है। ना ही वर्तमान में है। विवादित आराजी काश्त की भूमि है जिस पर काश्त हो रही है। उक्त आराजी के चारों ओर अन्य काश्तकारान की आराजी है। जिस पर वह काश्त करते हैं। प्रार्थी की आराजी नहर से सिंचित होती है। नहरी क्षेत्र में कोई तलाई आदि भी नहीं होती है। अप्रार्थी उक्त आराजी पर काफी वर्षों से निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी पर से प्रार्थी को किसी प्रकार से बेदखल नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। तथा यही भूमि उसकी आय का एक मात्र साधन है। यदि प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी के बाल बच्चों के भूखों मरने की नौबत आ जावेगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते हैं कि ग्राम उदयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 340 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्बत् 2009 से 2028 दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकषिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो, ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत आवंटन/खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियां सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती हैं, किन्तु उक्त प्रावधान के होते हुए आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त साबिक खसरा नम्बर 340 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नियमन/आवंटन/विक्रय श्री लड्डूराम पुत्र बद्रीलाल जाति गूजर निवासी उदयपुरा के पक्ष में किया गया, जो विधि विरुद्ध एवं अवैधानिक होने से प्रतिपक्षी के पक्ष में दर्ज खातेदारी अनियमित होने के कारण खारिज होने योग्य है। भू-प्रबन्ध सम्बत् 2041 से 2060 के तहत उक्त साबिक खसरा नम्बर 340 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि के भू-प्रबन्ध बाद हाल खसरा नम्बर 329, 330 रकबा 1.25 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम दर्ज किये गये तथा उक्त आराजी अप्रार्थी श्री लड्डूराम पुत्र बद्रीलाल जाति गूजर निवासी उदयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा के खाते दर्ज है, जो उपरोक्त प्रावधान के अनुसार निरस्त योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट केस नं० 1536/03 तारीख फैसला दिनांक 02.8.2004 में दिये गये निर्देशानुसार भी उपरोक्त भूमि पूर्व स्थिति में दर्ज किये जाने योग्य है, अर्थात् जलोद भूमि दर्ज करने योग्य है। राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सम्बन्धी) नियम 1957 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954, राजस्थान कोलोनाइजेशन (जनरल कॉलोनी) कन्डीशन्स 1955, और राजस्थान गवर्नमेण्ट ग्राण्ट्स एवं 1961 के आधीन विहित बाध्यताओं निबन्धनों की शर्तों के आधीन बाध्यताओं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के विरुद्ध होने से प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स किया जाना उचित समझते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाके ग्राम उदयपुरा तहसील पीपल्दा के साबिक आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्बत् 2009 से 2028 के अनुसार किस्म गैर मुमकीन तलाई के भू-प्रबन्ध बाद हाल खसरा नम्बर 329, 330 रकबा 1.25 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम अप्रार्थी लड्डूराम पुत्र श्री बद्रीलाल जाति गूजर निवासी उदयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा के खातेदारी से निरस्त कर पूर्वानुसार राज्य सरकार के

हित में नाम एवं भूमि की किस्म गै0मु0 तलार्ड पूर्ववत दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण श्री मान निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

8. आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटा, जिला कोटा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटा, जिला कोटा